

प्रेषक

सच्चिदानंद चौधरी,  
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

प्राधिकृत पदाधिकारी  
आयुष निदेशालय, बिहार, पटना  
सभी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार।

/पटना, दिनांक -

विषय :- गैर योजना शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-02 शहरी स्वास्थ्य सेवायें अन्य चिकित्सा पद्धतियां- आयुर्वेद-0001 देशी आयु० विज्ञान निदेशालय, विपत्र कोड- 20-2210021010001 मांग संख्या-20 अन्तर्गत वित्तीय 2017-18 में उपबंधित राशि से विभिन्न इकाईयों में कुल- 2,38,74,600/- ( दो करोड़ अड़तीस लाख चौहत्तर हजार सौ) रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उप शीर्ष अंतर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार वर्ष 2017-18 के लिए कुल - 2,38,74,600/- ( दो व अड़तीस लाख चौहत्तर हजार छः सौ) रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति (विवरणी संलग्न)।

2. संबंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि०(2) दिनांक-17.4.1998 एवं राज्यादेश संख्या-428/वि० दिनांक 31.03. एवं वित्त विभागीय पत्रांक 3002/वि० दिनांक-26.4.2017 में निहित निदेशों के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग सं० 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 02 शहरी स्वास्थ्य सेवायें चिकित्सा पद्धतियां-101 आयुर्वेद-0001 देशी आयुर्विज्ञान निदेशालय विपत्र कोड- 20-2210021010001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के उपबंध से की जायेगी।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशालय स्तर पर उप निदेशक (होमियोपैथ) एवं जिला स्तर पर जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी तथा नियंत्री पदाधिकारी प्राधिकृत पदाधिकारी आयुष निदेशालय, बिहार, पटना/विशेष सचिव, स्वास्थ्य होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. इस आवंटनादेश से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में देय बकाया का विधिवत जाँच कर सर्वप्रथम ब वेतनादि भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

7. आवंटित राशि से दवा एवं अन्य सामग्री का क्रय संबंधित कार्य देशी चिकित्सा निदेशालय के पत्रांक 156 (दे०चि०) दिनांक - एवं 801 (दे०चि०) दिनांक 28.11.2002 एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए जायेगा।

8. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन उनका सदुपयोग करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित निकासी व्ययन पदाधिकारी का होगा।

9. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे।

10. मकान किराया कर के लिए अद्यतन भवन उपलब्धता प्रमाण पत्र तथा सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत किराया दर की सत्यापित साथ मांग पत्र भेजी जाय ताकि आवंटन पर विचार किया जा सके।

11. इस आवंटनादेश से पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का माह फरवरी 2018 तक के लिए नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित के पश्चात बकाया वेतनादि का भुगतान किया जा सकेगा। सेवानिवृत्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी के बकाया वेतन का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर करेंगे।

12. वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से पूर्व में निर्गत आवंटन के अतिरिक्त यह आवंटन निर्गत किया जा रहा है।

13. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

14. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ज्ञाप सं०-

40 'ब' (आ. चि.)

/पटना, दिनांक - 01.03.2018

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, स्वा० के निजी सहायक/ प्राधिकृत पदाधिकारी, आयुष निदेशालय/ आयुष निदेशालय के सभी पदाधिकारी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिलिपि - आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव


0001- देशी आयु० विज्ञान निदेशालय, वित्तीय वर्ष 2017-18 का आवंटन

विवरणी

क्रम सं.	प्राथमिक इकाईयां	कोड	उपबंध	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
1.	2	3	4	5	6	7	8
1	वेतन	01 01	93225000	77508000	12121000	89629000	3596000
2	जीवन यापन भत्ता	01 03	119955000	104787000	6186000	110973000	8982000
3	मकान किराया भत्ता	01 04	14557000	11732000	1265000	12997000	1560000
4	परिवहन भत्ता	01 05	124000	110000	8000	118000	6000
5	चिकित्सा भत्ता	01 06	583000	530000	45000	575000	8000
6	अन्य भत्ता	01 07	10979000	5534000	1495000	7029000	3950000
	<b>योग (वेतन एवं भत्ता)</b>		<b>239423000</b>	<b>200201000</b>	<b>21120000</b>	<b>221321000</b>	<b>18102000</b>
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	06 01	535000	150000	55200	205200	329800
8	यात्रा व्यय	11 01	551000	466000	0	466000	85000
9	कार्यालय व्यय	13 01	4260000	3400000	860000	4260000	0
10	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	13 02	200000	180000	0	180000	20000
11	दूरभाष	13 03	216000	112000	6000	118000	98000
12	विद्युत प्रभार	13 04	1066000	585000	0	585000	481000
13	विधि प्रभार	13 05	525000	510000	0	510000	15000
14	वर्दी पोशाक	13 06	301000	250000	2200	252200	48800
15	किराया म० एवं कर	14 01	5507000	2081000	746200	2827200	2679800
16	प्रशिक्षण व्यय	20 03	200000	16000	0	16000	184000
17	सामग्री एवं पूर्तियां	21 01	3808000	3100000	708000	3808000	0
18	दवा भंडार	21 02	9980000	9646000	334000	9980000	0
19	व्यवसायिक एवं विशेष सेवायें	28 01	0	0	0	0	0
20	संविदा सेवायें	28 02	2900000	800000	0	800000	2100000
21	मशीन एवं उपस्कर	52 01	3215000	3172000	43000	3215000	0
	<b>योग</b>		<b>272687000</b>	<b>224669000</b>	<b>23874600</b>	<b>248543600</b>	<b>24143400</b>

(दो करोड़ अड़तीस लाख चौहत्तर हजार छः सौ) रुपये मात्र

40 'ब' (आ.चि.)  
01.03.2018

  
1/3/18  
सरकार के विशेष सचिव  
की

